फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री पर्वतसिंह पिता नाहरसिंह राठौड़ निवासी गांव माण्डावड़ा पो. पड़ासली तह. व जिला राजसमन्द (राज.)

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 47/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 21.08.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये क्रमांक एफ.1( )सू0अ0,05/प्र. अपील/2023/564–565 दिनांक 07.08.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द के सम्पर्क अनुभाग से संबंधित होने से कार्यालय लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा पत्रांक 502 दिनांक 06.07.2023 को सम्पर्क अनुभाग को पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अनुभाग द्वारा उपलब्ध अभिलेख अनुसार इस कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराई गयी सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 7(1) व 7(5) के तहत नियमानुसार वांछित सूचना के 02 रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से 02X08=16/– कार्यालय में जमा कराने हेतु अपीलार्थी को इस कार्यालय हाजा द्वारा जरिये पत्रांक 529 दिनांक 12.07.2023 से पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द के कार्यालय पत्रांक 529 दिनांक 12.07.2023 की पालना में दिनांक 21.07.2023 को अपीलार्थी सूचना प्राप्त करने हेतु कार्यालय में उपस्थित हुआ तथा कार्यालय रसीद क्रमांक 952 दिनांक 21.07.2023 से शुल्क जमा करा व सूचना प्राप्ति के हस्ताक्षर कर अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी द्वारा स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर ली जाने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	